अप्रतिवेध

## भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारिता आपराधिक अपील क्र.473-474/2019 विषेष अनुमति याचिता (आपराधिक) क्र. 2453-2454/2016 से उद्भूत

सचिन कुमार सिंहराहा

अपीलार्थी

बनाम

मध्य प्रदेश शासन

प्रत्यर्थीगण

निर्णय

## न्यायमूर्ति मोहन.एम. शांतनागोदर,

स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनाथर्, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

## अनुमति अनुज्ञात।

- 2. विषेष सेषन विचारण क्र. 41/2015 यथा निर्णय दिनांक 06.08.2015 में, प्रथम अतिरिक्त सेषन न्यायालय, मैहर, जिला सतना, म.प्र. ने भा.द. संहिता के अंतर्गत धारा 363, 376 (1),302 एवं 201 (11) (संक्षेप मे भं. द. सं) तथा लैगिक अपराधों से बालको के संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में " पाकसो अधिनियम") की धारा 5 (आई),5 (एम), सहपठित धारा (6) के अंतर्गत दण्डिनय अपराध से अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया तथा एवं मृत्युदण्ड की सजा सुनाई।
- 3. विचारण न्यायालय का निर्णय उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र. द्वारा आपराधिक निर्देष क्र. 5/2012 तथा आपराधिक अपील क्र. 2205/2015 में 03.03.2016, से पुष्ट किया गया. भ.द.सं की धारा 363 से सम्बंधित अपराध को छोडकर अर्थात् उच्च न्यायालय द्वारा भ.द.सं की धारा 363 के अंतर्गत अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया है। यह अपीले सिद्धदोष अभियुक्त द्वारा दायर की गई है।
- 4. संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि, दिनांक 23.02.2015, को अ. स.4 1/4 पीड़िता के पिता के बड़े भाई 1/2 पीड़िता बालिक को गाड़ी जिसका रजिस्टेंषन क्र. डण्च्ण् 19 टी 2374 है, में स्कूल छोड़ने अपने गांव से आए थे, जो अभियुक्त/अपीलार्थी को स्वामित्व मे है तथा उसके द्वारा ही चलाई गई जाती है। अ.स.4 अभियुक्त/अपीलार्थी के आष्वासन पर की उसे पीडिता

बालिका के साथ उसके स्कूल जाना है, चूकिं उसे अपनी पूत्री की फीस जमा करना है, सब्जी मन्डी में उतार दिया बालिका अभियुक्त /अपीलार्थी के साथ गाड़ी में अपने स्कूल की ओर चली गई, परन्तु उस दिन वह घर वापस नहीं आई उसके माता-पिता रिष्तेदार एवं स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आषय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थर, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा । गांव वालों के उन्मत्त खोज के बावजूद पीडित बालिका का पता नहीं लगाया जा सका । मृतिका के पिता ने शक किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसकी बेटी को कहीं और छोड़ दिया होगा तथापि, अज्ञात अपराधी के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.1) दर्ज कराई गई थी तथा अभियुक्त/अपीलार्थी को दो देन के बाद गिरफतार किया गया था । विचारण के उपरांत, जैसा की पुर्वोक्त वर्णित है, अभियुक्त/अपीलार्थी को विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया इस दोषसिद्धी के आदेष को उच्च न्यायालय द्वारा संपुष्ट किया गया ।

- 5. श्री मृगेन्द्र सिंह, विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता जो की अभियुक्त/अपीलार्थी की ओर से उपस्थित हैं, ने हमें अभिलेख पर सामग्री से अवगत कराया तथा निवेदन किया कि अभियोजन का मामला मुख्यतः अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति पर टिका हुआ है, परन्तु कथित परिस्थिति समयक रूप से सिद्ध नहीं हुई है, यह इसलिए कि अ.स.5 रामजी शुक्ला के साक्ष्य को ध्यान में रखते हूए। अ.स.४ के विरूद्ध भी गंभीर संदेह उद्भूत होता है । यह भी निवेदन करता है कि साक्ष्य जिसके कारण शव की बरामदगी हो सकी जो अभियुक्त/अपीलार्थी ये संस्वीकृति पर आधारित है, इस आधार पर अस्वीकार किये जाने योग्य है कि पंचनामा पुलीस आने पर बनाया गया था ना की शव के बरामदगी के स्थान पर, और यह कि अनुसंधान अधिकारी जान बूझकर मूल अपराधी को छिपाने की कोशिश की है तथा अभियुक्त/अपीलार्थी को फसाया है, और अनवेषण के दौरान कथित कमी न्याय के संतुलन को आरोपियो/अपीलार्थीयों के पक्ष मे झुकाएगी । अनुकल्पतः, वह यह प्रार्थना करता है कि यह मामला ''विरल से विरलतम'' मामला की परिभाषा के अंतर्गत नही आता इसिलिए, अभियुक्त/अपीलार्थी को मृत्यूदण्ड से दण्डित नहीं किया जाना चाहिए। स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आषय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनाथर्, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा। दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के निर्णय के समर्थन में तर्क किया।
- 6. वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, अभियोजन मुख्यतः निम्नलिखित परिस्थितियों पर भरोसा करता है:
  - (अ) अ.स.४ मृतक के चाचा तथा मृत बालिका गाड़ी से जिस पर अभियुक्त/अपीलार्थी का स्वामित्व था तथा उसके द्वारा चलाई गई थी, अपने जन्म स्थान से मैहर तक गए।

- (ब) अ.स.४ ने बालिका की अभिरक्षा अभियुक्त/अपीलार्थी को इस आश्वासन पर दे थी कि वह बच्ची को सुरक्षित स्कूल ले जाएगा।
- (स) अ.स.४ ए एवं ५ के द्वारा मृतिका अंतिम बार अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ देखी गई। (द) मृतिका स्कूल का बस्ता एवं षव, अभियुक्त/अपीलार्थी के प्रकटन कथन के अनुसार ही बरामद किये गये।
- (द) द.प्र.स. की धारा 313 के अंतगर्त अभिलिखित बयान में अभियुक्त/अपीलार्थी ने झुठे स्पष्टीकरण पेष किये।
- 7. इस सूस्थापित प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि परिस्थितियां जिससे दोषी होने के निष्कर्ष को निकालना है, पूरी तरह से स्थापित हों या "होना चाहिए" और न केवल "हो सकता है "पर। स्थापित किए गए तथ्य केवल आरोपियों के दोषिता के अनुरूप होना चाहिए, अथार्त्, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना के माध्यम से पता लगाने योग्य नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी था और तो और परिस्थितियां निश्चयात्मक प्रकृति की होना चाहिए. आरोपी की बेगुनाही के अनुरूप किसी स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आषय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा। भी उचित आधार को नहीं,छोडने के लिए, साक्ष्यों की शृखंला पूर्ण होनी चाहिए और यह दिखाना होगा की सभी मानवीय संभावनाओं में अपराध आरोपी के द्वारा किया गया था।
- 8. अभिलेख से पता चलता है कि इटमा (मृतिका के गांव) तथा मैहर (शहर जहाँ उसका स्कूल था) के बीच लगभग 9 कि.मी. की दूरी थी। मृतिका न्यू होरीजन पब्लिक स्कूल, मैहर में एल.के.जी. में पढ़ती थी तथा अपराध घटित होते समय वह 5 साल 2 माह की थी। अभियुक्त/अपीलार्थी गाड़ी का रजिस्टिंकृत स्वामी हैं जिसमें वह पीडिता के साथ अंतिम बार देखा गया था। तथा घटना के दिन वह गाडी चला रहा था उसकी पुत्री भी मृतिका की तरह उसी स्कूल में विधार्थी थी उपरोक्तवर्णित सभी तथ्य विवादित नहीं है। वास्तव में यह भी हमारे समक्ष बचाव के अधिवक्ता द्वारा विवादित नहीं है कि यह स्पष्टतः बालिका के रेप एवं मृत्यू का मामला है। तथापि, बचाव के अनुसार, अभियुक्त/अपीलार्थी अपराध के लिए उत्तरदाई नहीं है।
- 9. अ.स.1 मृतिका के पिता है, अ.स.4, अ.स.1 के बड़े भाई है। चूँकि अ.स.4 मैहर शहर में लाइट की दुकान में बिजली मिस्त्री के रूप मे काम करते थे, अ.स.1 में अपने बच्ची की (मृतिका) को अ.स.4 के साथ उस स्कूल जो मैहर में है छोड़ने के लिए भेजा था। लगभग 10 बजे, अ.स.4 मृतिका के साथ अभियुक्त/अपीलार्थी की गाड़ी में घर से निकला और मैहर गया था। अ.स. 4 ने कहा है कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा उससे यह कहा गया था कि उसे अपनी बच्ची की फीस जमा करने पिडिता के स्कूल जाना है, और उसकी बातो पर विश्वास कर, अ.स.4 ने स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आषय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक

एवं कार्यालयीन प्रायोजनाथर्, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा । अभियुक्त/अपीलार्थी से पीडित बालिका को स्कूल ले जाने के लिए आग्रह किया । अभियुक्त/अपीलार्थी ने अ.स.4 को आष्वस्त किया कि वह पिडिता को स्कूल छोड़ देगा। अतः अ.स.4 पीडित बालिका को अभियुक्त/अपीलार्थी के संरक्षण मे छोडकर गाड़ी से उतर गया। अतः अ.स.4, अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति, के संबंध मे बताने वाला मुख्य साक्षी है । अ.स.4 उसके विस्तृत प्रतिपरिक्षण में स्थिर रहा एवं इसके माध्यम से उसके साक्ष्य में कोई बड़ी विसंगति नहीं निकाली गई।

10. जबिक, बचाव की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि शक की सुई अ.स.४ की ओर भी झुकती है, यद्यपि अ.स.५ ने बताया था कि उसने अभियुक्त/अपीलार्थी, मृतिका एवं अ.स.४ को एक साथ अभियुक्त/अपीलार्थी की गाड़ी में सब्जी मंडी के पास एक जगह देखा था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यदि अ.स.४ सब्जी मंडी पर ही गाड़ी से वास्तव में उतरा होता, तो अ.स.५ के द्वारा कथित जगह नही देखा गया होता। उक्त आधार पर, वह निवेदन करता है कि अ.स.४ की साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता, चूंकि न्यायालय के समक्ष उसका बयान केवल स्वयं को बचाने के लिए है। अपने विवेक को संतुष्ट करने के लिए हम ध्यान से अ.स.५ के साक्ष्यों से गए, एवं पाया कि अ.स.५ के साक्ष्यों के मूल्यांकन पर विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, ने उचित ही निष्कर्ष निकाला है कि यह अभियोजन के कथन का समर्थन करता है। अतः यह तर्क जैसा कि ऊपर उठाया गया है स्वीकार नहीं किया जा सकता । अ.स.5 ने कहा है कि लगभग 9:30 बजे उसने अभियुक्त/अपीलार्थी को गाड़ी की डंायवर सीट पर तथा पीडिता को स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आषय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनाथर, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा। स्कुल की ड्रेस पहने उसके बाजू मे बैठे देखा था। अ.स.५ की साक्ष्य (प्र. डी.४) में मृतिका गाडी की सामने की सीट पर बैठे होने को लेकर विरोधाभास है, जो कि हमारे अनुसार तात्विक नहीं है दूटभाग्यवष,विचारण न्यायालय अ.स.५ के बयान के एक विषिष्ट हिस्से को चिन्हित करने के बजाय, जहाँ उन्होने उपरोक्त कथन से संबंधित अपने पूर्व में किए गए कथन का खंडन किया था, ने पुलिस के द्वारा अभिलिखित संपूर्ण कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता 1/4 संक्षेप मे द.प्र.सं1/2 की धारा 161 के अंतर्गत चिन्हित किया, जैसा कि यह हो सकता है, इस प्रकार चिन्हित विराधोभास केवल अभियुक्त/अपीलार्थी की सीट के बाजू में बैठै बालिका के संबंध में देखा जाना चाहिए यह । देखते हुए कि यह याददास्त में कमी के कारण और यह किसी भी मामले में तात्विक खंडन नही है, विचारण न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय ने इस खंडन को स्पष्ट किया अ.स.५ ने अपने प्रति परिक्षण ने बताया कि उसने अभियुक्त/अपीलार्थी, मृतिका एवं अ.स. ४ को अभियुक्त/अपीलार्थी की गाडी में एक साथ देखा है। अ.स. ५ के इस कथन पर आधारित होकर बचाव के अधिवक्ता ने कठोरता से तर्क किया कि अ.स.५, अ.स.४ के साक्ष्य

को पूर्णतः खंडित करती है जैसा की उन्होने अ.स.४ को ऐसे स्थान पर देखे जाने का कथन किया, जहाँ उन्होने अभियुक्त/अपीलार्थी के गाडी से नीचे उतरने का दावा किया था। जबकि, अ.स.5 की साक्ष्य में हम कोई भ्रम नहीं पाते, क्योंकि उसने अनरूपता से यह कहा है कि उसने अभियुक्त/अपीलार्थी, मृतिका एवं अ.स.४ को अभियुक्त/अपीलार्थी की गाड़ी मे, सब्जी मंडी क्षेत्र में देखा है. यह अभियोजन के मामले से भिन्न नहीं है कि उपरोक्त कथित सभी तीन व्यक्ति अभियुक्त/अपीलार्थी की गाड़ी में इटमा गांव से निकले और अ.स.4 को सब्जी मंडी के पास उतार दिया। ग्रामीणें बयान की देहाती प्रकृति को ध्यान मे रखते हुए न्यायालय को उसके समक्ष आए साक्ष्य का मूल्यांकन करना होगा, जो गणितीय सटीकता के साथ सटीक भौगोलिक स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आषय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनाथर, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा । स्थान के बारे में नही बता सकते । इस प्रकृति की विसंगतियां जो मामले की वह तक नही जाती अन्यथा स्वीकार्य साक्ष्यों को अभिलोपन नहीं करती यह बताने की आवष्यकता नहीं है कि अब यह सूस्थापित है गवाही की विष्वसनीयता का आकलन एवं अभियोजन के कथन का पूर्णतः सामंजस्य करते समय मामूली विसंगतियों को विचार मे नहीं लिया जाना चाहिए। इस मामले को देखते हुए हमारे विचार में, अ.स.५ की साक्ष्य, अ.स.४ की साक्ष्य एवं अभियोजन के मामले को पूर्णतः समर्थन करती है।

- 11. अभियोजन का मामला अ.स.6 के द्वारा भी समर्थित किया गया, जो कि इटमा गांव के भी निवासी है। लगभग 11 बजे, जब वह पान की दुकान पर बैठे थे, उन्होंने मृतिका को अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ गाड़ी मे कटनी रोड की ओर जाते देखा था।
- 12. अ.स.2 एवं अ.स.3 ने अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा किये गए प्रकटन कथन के आधार पर षव के बरामदगी के बारे में एवं बालिका के स्कूल बैग के बारे में बताया था। यह कहने की आवष्यकता नहीं, कि कथन का केवल वह भाग जो ष्वव एवं स्कूल बस्ते की बरामदगी को प्रेरित करता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत साक्ष्य मे ग्राहय है। दोनो ही साक्षियों ने बताया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने कहा है कि अभियुक्त/अपीलार्थी के प्रकटन कथन अभिलिखित करने के पश्चात् वह पुलिस एवं साक्षियों (अ.स.2 एवं अ.स.3) को घटना स्थान पर ले गया जहाँ स्कूल का बस्ता एवं ष्वव को नष्ट किया था। परसवारा नहर के पास स्थित कुएँ मे शव पाया गया उस समय, शव पर केवल जांघिया मौजूद थी। पुलिस ने कुएँ से मृतिका के शव को बाहर निकाला, और बरामदगी के पश्चात, बरामदगी ज्ञापन प्र.पी.7 अभिलिखित स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आषय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा। किया एवं साक्षियों के होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा। किया एवं साक्षियों के

हस्ताक्षर लिए। इसके पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी पुलिस एवं साक्षियों को दूबेही स्थित स्कूल पर ले गया जिसके छत पर उसने पिडिता का स्कूल का बस्ता छुपाया था। स्कूल बस्ते की बरामदगी ज्ञापन प्र.पी 8 घटना स्थल पर बनाया गया एवं साक्षियों के हस्ताक्षर लिए गए । यद्यपि कुछ सुझाव अ.स.२ को दिए गए, जिससे उसने इनकार किया है। अ.स.२ के साक्ष्य, हमारे मत मे अपरिवर्तित रहे । अ.स. ३ के साक्ष्य अ.स.२ के साक्ष्य से लगभग समान है अपने प्रतिपरिक्षण के अ.स.3 ने बताया कि पुलिस ने पुलिस कागजात कई जगहों में बनाए, जैसे परसवारा गांव एवं पुलिस थाने पर । अ.स.३ द्वारा यह भी स्वीकारा गया कि मृत्यू समीक्षा पंचनाम पुलिस थाने पर बनाया गया जबिक, अ.स. 3 की यह स्वीकृतिया प्र.पी.7 एवं प्र.पी.8 जो की बरामदगी ज्ञापन है और साक्षियो द्वारा समयक रूप से हस्ताक्षारित है, के प्रभाव को खत्म नहीं करती अ.स.२ एवं अ.स.३ के साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि जैसे ही शव को कुएँ से बाहर निकाला गया एवं स्कूल बस्ते को दुबेही स्थित स्कूल की छत से बरामद किया गया, घटना स्थित पर ही बरामदगी ज्ञापन प्र.पी.7 एवं प्र.पी.8 तैयार किये गए एवं उन पर साक्षियों के हस्ताक्षर लिये गए। जैसे की पूर्व में उल्लेखित है, अ.स.3 ने अपने प्रतिपरिक्षण में कहा है की कुछ पुलिस कागजात परसवारा गांव में तैयार किए गए और तो और पुलिस थाने पर एवं मृत्यु समीक्षा पंचनामा पुलिस थाने पर बाद मे बनाया गया था । जबिक,इस आधार पर, अभियोजन का समपूर्ण मामले पर संदेह नहीं, किया जा सकता, इससे ना तो मृतिका की मृत्यू ना ही उसका मृत्यु स्थान विवादग्रस्त है। बरामदगी से संबंधित साक्ष्य यह दर्षाने के लिए कि अभियुक्त/अपीलार्थी के कहने पर कुछ सामग्री बरामद हुई है, सुसंगत है, और यह कि अपराध के बाद अभियुक्त/अपीलार्थी षव के फेके जाने के स्थान के बारे में एवं स्कूल के बस्ते के बारे मे जानता था हम यह पाते है कि अ.स.२ एवं अ.स.३ की स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आषय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनाथर, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा । साक्ष्य अभियोजन के कथन से संगत है । अतः केवल घटना स्थल पर मृत्यु समीक्षा पंचनामा ना बनाने के अनवेषण अधिकारी के त्रृटि पर आधारित होकर हम साक्ष्य को अस्वीकार नहीं करते, विशेष रूप से (प्र. पी.7 एवं प्र.पी.8) जो की घटना स्थान पर बनाए गए थे को ध्यान मे रखकर । इस मोड़ पर, हम यह स्मरण करना चाहेगे कि यह सूरथापित है कि अनवेषषण अधिकारी द्वारा की गई तुच्छ गलतियों के कारण आपराधिक न्याय निर्णयन को अपकर्ष नही बनना चाहिए हम यहाँ यह जोडने की जल्दबाजी कर सकते है कि यदि अन्वेषण अधिकारी कुछ अभिलेख को बनाकर एक नया मामला बनाने के लिए वास्तविक घटना को दबा देता है तब न्यायालय निश्चित रूप से कडक तौर पर जांच अधिकारी की ऐसी कार्यवाई के विरुद्ध आएगा इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता की संदह का लाभ जो अनवेषण मे प्रमुख दोषो से उद्भूत होता है, न्यायालय के मन मे संदेह पैदा करेगा और इसके परिणामस्वरूप इस तरह की अक्षम्य जाॅच से अभियुक्तों को लाभ उद्भूत होगा। जैसा की इस न्यायालय द्वारा एच.पी. राज्य बनाव लेख राज (2000) (1) एस.सी.सी. 247 के मामले में देखा गया है, एक आपराधिक विचारण की बराबरी एक स्टंट फिल्म के नकली दृष्य से नहीं की जा सकती अभियुक्त की दोंिषता या निर्दोषिता को अभिनिष्चित करने के लिए इस प्रकार का विचारण किया जाता है तथा सत्य से संबंधित एक निष्कर्ष पर पहुचने में, न्यायालय को तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने और साक्ष्यों को उसके आंतरिक मूल्य एवं साक्षियों की विद्धेषपूर्ण भावना को आंकने की आवष्यकता है। न्यायालयों को अभियोजन को सहारा देने के लिए प्रयास करने या अभियुक्त के पक्ष में कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पारंमपरिक सिद्धांतवादी हायपरटेक्निकल दृष्टिकोण को स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आषय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ क्षेत्रधारित करेगा। आपराधिक विचारण में न्यायनिर्णमन के लिए एक तर्कसंगत, यथार्थवादी और वास्तविक दृष्टिकोण द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है. मामले को देखते हुए, हम अभियुक्त/अपीलार्थी के कहने पर की गई बरामदगी के परिस्थितियों पर न्यायालय द्वारा किये गए विश्वास में कोई त्रुटि नहीं पाते।

- 13. डाक्टरों के साक्ष्यों को देखने पर, अ.स.10 एवं अ.स.11, यह स्पष्ट है कि पिडिता पर लैगिक हमला हुआ था। बचाव की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, ने निष्पक्ष रूप से,डाक्टरों की साक्ष्य के प्रतिकूल तर्क नहीं किया था।
- 14. अंतिम परिस्थिति, जो कि वास्तव में परिस्थितियों में श्रंखला में एक अतिरिक्त परिस्थिति है, वह यह है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने पिडिता का साथ छोड़े जाने के संबंध में मिथ्या स्पष्टीकरण दिया है, अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया है वह यह है कि बालिका को स्कूल पर छोड़कर वह उसके साथ से अलग हो गया था और इसिलिए उसे नहीं पता की बाद मे क्या हुआ । अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा दिया गया यह स्पष्टीकरण गलत है, प्रहलाद पटेल के साक्ष्य को देखते हुए, अ.स.८, जो स्कूल को प्रबंधक एवं स्कूल का िक्षक है एवं उसके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख (उपस्थिति रजिस्टर) जो प्र.पी.15 है, फरवरी माह, 2015 के लिए है, जो स्पष्टतः यह प्रकट करती है कि घटना के दिन बालिका स्कूल नहीं आई थी । क्योंकि उस दिन की घटनाओं के बारे में अभियुक्त/अपीलार्थी ने मिथ्या स्पष्टीकरण दिये है, अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति के बारे में, उसके विरुद्ध एवं स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आषय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ के अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा । प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले जाने की बहुत ही विषेष रूप से आवष्यकता है।
- 15. यद्यपि बचाव ने ब.स.1 के साक्ष्य को भी देखा,जहाँ तक की मृत्यू एवं बलात्कार का संबंध है,

- उसकी साक्ष्य अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य को नष्ट करने के लिए सूसंगत नही है। चूंकि यह मुख्य रूप से आरोपी/अपीलार्थी की गिरफ्तारी की तारीख से संबंधित है। न्यायालय द्वारा यह उचित ही देख गया है, कि ब.स.1 की साक्ष्य न्यायालय के मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का संदह नहीं उत्पन्न करती एवं प्रश्नगत अपराध के किए जाने से सूसंगत नहीं है।
- 16. मामले की तथ्य एवं परिस्थियों की संपूर्णता को देखते हुए, हमारे विचार में, विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने उचित दी निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन अपना मामला उस अपराध के लिए जिससे अभियुक्त/अपीलार्थी को आरोपित किया गया है संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। हमारे मत में अभियोजन द्वारा विश्वास कि गई सभी परिस्थितियां संदह से परे साबित हो चूंकि है और परिणामस्वरूप परिस्थितियों की श्रंखला पूर्ण होकर न्यायालय की मस्तिष्क में ऐसा कोई संदेह नहीं छोड़ती कि प्रष्नागत अपराध अभियुक्त और केवल अभियुक्त ने ही कारित किया है। यह बात दोहराने लायक है कि यद्यपि साक्ष्य में कुछ विसंगतियां एवं प्रक्रियात्मक किमयां अभिलेख पर लाई गई है। उससें अभियुक्त/अपीलार्थी को संदेह का लाभ नहीं होगा यह याद होना चाहिए कि प्रमाण के नियम का अतिरंजित पालन कर न्याय को कठोर नहीं बनाया जा सकता, चूंकि अभियुक्त को मिला संदेह का लाभ हमेशा युक्तियुक्त होना चाहिए, ना की काल्पनिक। स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आषय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ के अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा।
- 17. जबिक, हमारे विचार में अभियुक्त/अपीलार्थी पर मृत्यू दंडादेश को अधिरोपित करने में न्यायालय न्यायसंगत नहीं रहे होंगे। जैसा की यह सूस्थापित है, आजीवन कारावास एक ऐसा नियम है जिसमें मृत्युदण्ड एक अपवाद है। अपराध की सूसंगत तथ्य एवं परिस्थियों को देखते हुए, मृत्यूदण्ड तभी अधिरोपित किया जाना चाहिए जबिक आजीवन कारावास पूरी तरह से अनुचित सजा प्रतीत हो। चूंकि संतोष कुमार सिंह बनाम राज्य, सी.बी.आई के माध्यम से, (2010) 9 एस.सी.सी 747 के मामले में न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, सजा देना एक मुश्किल काम है और न्यायालय के मस्तिष्क को कष्ट देता है, परन्तु जहाँ भी आजीवन कारावास एवं मृत्युदण्ड के बीच विकल्प है, यदि न्यायालय स्वयं इसे एवं अन्य को अधिरोपित करने में कठिनाई महसूस करता है, तब यह उचित है कि कम सजा अधिरोपित की जाए।
- 18. हमने अभियुक्त/अपीलार्थी पर मृत्युदण्ड अधिरोपित करने के लिए विकट एवं प्रशमनकरी परिस्थितियों को विचार में लिया। जिस तरह पिडिता की अभिरक्षा दाखिल करने के लए उसने अ.स.4 को झूठा बहाना बताया उससे यह दर्षित होता है की उसने पूर्वाचिन्तन तरीके से जघन्य अपराध कारित किया है,। उसने ना केवल अ.स.4 द्वारा उस पर किये गए विष्वास को गाली दी, अपितु 5 वर्ष की उम्र के एक बच्चे की मासूमियत और असहायता का भी षोषण किया

उसी समय, पूर्ववर्ती आपराधिक इतिहास और उसके समग्र आचरण को ध्यान में रखते हुए हम आष्वस्त नहीं है कि अभियुक्त के सुधार की संभावना कम है। स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आषय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनाथर्, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा।

19. अतः मामले की संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियां के संबंध में हमारा विचार है कि प्रश्नगत अपराध उस मामले की श्रेणी में आएगा जिसमे मृत्युदण्ड अधिरोपित करना आवश्यक हो। यद्यपि, जैसा कि उपरोक्त संदर्भित है, अपराध की विकट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम यह महसूस करते है की वर्तमान मामले मे सादा आजीवन कारावास की सजा समस्त रूप से अपर्याप्त है। इस संबंध में, हम अपने हाल ही के निर्णय दिनांक 19.02.2019 परशुराम बनाम म.प्र. राज्य 1/4 क्रिमिनल अपील क्र 314-315/20131/2 में अपरिहार्य सजा के पहलू पर अपने अवलोकन को संदर्भित करना चाहेगे।

"13. जैसा की स्वामी श्रद्धानंद (2) बनाम कर्नाटक राज्य, (2008)13 एस.सी.सी. 767, में इस न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया, एवं भारत संध बनाम श्री हरन (2016) 7 एस.सी.सी.1 में इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा पष्चातवर्ती रूप से पृष्ट किया गया, यह न्यायालय मृत्यू दण्ड को 14 वर्ष की अवधी से अनाधिक कारावास द्वारा विधिक रूप से प्रतिस्थापित कर सकता है, तथा इस सजा को परिहार के परे रख सकता है। इस प्रकार की सजा कई अवसरों पर इस न्यायालय द्वारा दी जा चुकी है, और हमें कुछ निर्णयों को स्पष्टीकरण के माध्यम से लाभकारी रूप में देखा जाना चाहिए। सिबेसटियन उर्फ चेविथियन बनाम केरल राज्य (2010) 1 एस.सी.सी. 58, 2 वर्ष की बालिका के बलात्कार एवं मृत्यु से संबंधित मामला है, में इस न्यायालय ने मृत्यु की सजा को अपीलार्थीगण के ष्षेष जीवन काल के कारावास मे उपातंरित कर दिया था । राजकुमार बनाम म.प्र. राज्य (2014) 5 एस.सी.सी. 353, 14 वर्ष की आयु की बालिका से बलातसंग एवं मृत्यु से संबंधित मामले मे इस न्यायालय ने अपीलार्थी को कम से कम 35 वर्ष जेल मे स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आषय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनाथर्, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा । बिना परिहार के भुगताए जाने का निर्देष दिया । सेलवाम बनाम राज्य (2014) 12 एस.सी.सी. 273 में इस न्यायालय ने 9 वर्ष की बालिका के बलात्कार से संबंधित मामले में बिना परिहार से 30 वर्ष जेल में रहने की सजा अधिरोपित की टटटू लोधी बनाम म.प्र. राज्य (2016) 9 एस.सी.सी. 675, मे जिसमें अभियुक्त 7 वर्ष की आयू की छोटी बालिका की मृत्यू कारित करने का दोषी पाया गया था, न्यायालय ने, इस निर्देष के साथ की अभियुक्त को कारागार से तब तक मुक्त ना किया जाए जब तक वह 25 वर्ष की अवधि का कारावास पूर्ण ना कर ले, आजीवन कारावास की सजा अधिरोपित की है।"

- 20. वर्तमान के मामले में भी हम 1/4 बिना परिहार के 1/2 कम से कम 25 वर्ष के आजीवन कारावास की सजा अधिरोपित करना उचित समझते हैं । अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा पहले ही भोगी गई, लगभग 4 वर्ष का कारावास अपास्त किया जाए । अभियुक्त/अपीलार्थी की आयु को विचार करने पर ही, जो की वर्तमान में लगभग 38 से 40 वर्ष है हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है।
- 21. तद्नुसार निम्नलिखित आदेष दिया:-

भा.द.संहिता की धारा 376 (ए),302 एवं 201 (11) एवं पोकसो अधिनियम" की धारा 5 (आई), (एम), सहपठित धारा (6) से दण्डनिय अपराध के लिए अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्ध को समर्थन देने वाला उच्च न्यायालय का निर्णय एवं आदेष पुष्ट रहा। यद्यपि दण्डादेष को उपांतरित किया गया है। एतद्द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को 25 वर्ष के कारावास (बिना परिहार के) भुगताए जाने को निर्देषित किया स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आषय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ की अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा। गया। पूर्व में भोगी गई सजा अपास्त को जाए। तद्नुसार अपील निपटाई गई।

न्यायमूर्ति एन.वी. रमना न्यायमूर्ति मोहन एम. शांतनागोदर न्यायमूर्ति इंदरा बैनरर्जी

नई दिल्ली 12 मार्च 2019

स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आषय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

- (अ) अ.स.४ मृतक के चाचा तथा मृत बालिका गाड़ी से जिस पर अभियुक्त/अपीलार्थी का स्वामित्व था तथा उसके द्वारा चलाई गई थी, अपने जन्म स्थान से मैहर तक गए।
- (ब) अ.स.४ ने बालिका की अभिरक्षा अभियुक्त/अपीलार्थी को इस आष्वासन पर दे थी कि वह बच्ची को सुरक्षित स्कूल ले जाएगा।
- (स) अ.स.४ ए एवं ५ के द्वारा मृतिका अंतिम बार अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ देखी गई।

- (द) मृतिका स्कूल का बस्ता एवं षव, अभियुक्त/अपीलार्थी के प्रकटन कथन के अनुसार ही बरामद किये गये।
- (द) द.प्र.स. की धारा 313 के अंतगर्त अभिलिखित बयान में अभियुक्त/अपीलार्थी ने झुठे स्पष्टीकरण पेष किये।

स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आषय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनाथर्, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।